संख्या–वे0आ0–2–251 / दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 01 जून, 2012

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–7) में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–7) में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया है :––

(1) विभागीय डिप्लोमा प्रशिक्षण के लिये निर्धारित वर्तमान कोटा (100 सीटें) को बढ़ाकर 400 सीटें तथा एम0एस0 / एम0डी0 प्रशिक्षण हेतु 100 अतिरिक्त सीटें स्वीकृत की जाय। साथ ही उक्त डिप्लोमा में चयन हेतु यदि विभागीय परीक्षा की कोई व्यवस्था वर्तमान में हो अथवा भविष्य में की जाय तो नव नियुक्त एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक जिन्होंने 05 वर्ष की ग्रामीण सेवा कर ली हो उनके लिए अलग से सीमित विभागीय परीक्षा की व्यवस्था की जाय, ताकि उक्त अभ्यर्थियों को डिप्लोमा प्रशिक्षण हेतु वरीयता प्राप्त हो सके।

(2) पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों के लिए वाहन भत्ता तथा स्नातकोत्तर भत्ता की संस्तुति वाहन भत्ता तथा स्नातकोत्तर भत्ता से सम्बन्धित संस्तुतियों के साथ दी जायेगी।

(3) पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को पोस्टमार्टम कार्य हेतु पारिश्रमिक के रूप पोस्टमार्टम भत्ता की दर को रू0 10 / – से बढ़ाकर रू0 100 / – किया जाय।

(4) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में मलेरिया संगठन के अन्तर्गत उपलब्ध कीट संग्रहकर्ता एवं सुपीरियर फील्ड वर्कर के पदों पर हाईस्कूल (विज्ञान विषय के साथ) की अर्हता निर्धारित करते हुए वर्तमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 1800 / – के स्थान पर उच्चीकृत / संशोधित ग्रेड वेतन रू0 1900 / – तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(5) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध स्टोरकीपर संवर्ग के पदों पर, समिति द्वारा स्टोरकीपर संवर्ग के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों के आलोक में व्यवस्था की जाय।

(6) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध सामान्य कोटि के पदों/संवर्गों पर समिति द्वारा पूर्व में दी गयी संस्तुतियाँ लागू होगी।

(7) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखे जायें।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2–251(1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
संयुक्त सचिव।